UPBS010037732026

पीठासीन अधिकारी– (Virat Shiromani) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UPJS 1869**

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-प्रथम, बस्ती।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1163/2026

1- सचिन प्रताप सिंह उर्फ सचिन्द्र प्रताप पुत्र स्व० चन्द्रभान सिंह
2- अर्चना सिंह पत्नी सचिन प्रताप सिंह
3- रितेश कुमार सिंह पुत्र सचिन प्रताप सिंह
निवासीगण- जोत असारे, थाना छावनी, जिला- बस्ती।

.... **अभियुक्तगण/आवेदकगण।**

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश जरिए डी०जी०सी०(क्रि०) बस्ती।

.....विपक्षी

अपराध संख्या–0188/2026
धारा–69,352,351(3),318(4) बी०एन०एस०
थाना रूधौली, **जनपद** बस्ती।

दिनांक : 13.07.2026

1- प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण/आवेदकगण सचिन प्रताप सिंह, अर्चना सिंह, रितेश कुमार सिंह की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या-0188/2026, अन्तर्गत धारा-69,352,351(3),318(4) बी०एन०एस० थाना-रूधौली, जिला बस्ती में प्रस्तुत किया गया है।

2- अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण/आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को मैंने विस्तारपूर्वक सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

3- प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार हम प्रार्थीनी रेनू पुत्री राम केवल ग्राम-छपिया, पोस्ट-महुआर, तहसील-रुधौली, जिला-बस्ती का मूल निवासीनी हूँ। विपक्षी प्रवेश कुमार पुत्र सचिन सिंह निवासी ग्राम जोत आसरे, पोस्ट-अमोढा, थाना छावनी, जनपद बस्ती के है जिनसे लगभग एक साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी विपक्षी प्रवेश कुमार हमसे फोन पर बात करने लगे और मुझसे शादी करने का झांसा देने लगे। मैं भी उनसे बात-चीत करने लगी उनके झांसे में आ गई और उनके कहने पर कार्य करती रही। मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर जिसका नं UP51BW2662 मोबाइल सैमसंग गलैक्सी 5G मोबाइल व इन्वर्टर का मेरे नाम से फाइनेंस करवा लिया और अपने पास रख लिए है विपक्षी मेरे साथ शादी का झांसा देते हुए कई बार शारीरिक

Digitally signed by VIRAT SHIROMANI
Date: 2026.07.14 11:14:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सम्बन्ध बनाते रहे। मेरी मोवाइल भी अपने पास रख लिये है जिसका नं0 9305300104 है उसको अपने पास रख लिए जब मै इनसे शादी के द्वारा जाहिर की तो प्रवेश कुमार व उनके परिवार के लोग अर्चना सिंह, सचिन सिंह, रितेश कुमार सिंह के द्वारा साफ इनकार कर दिया गया और प्रवेश कुमार की माता अर्चना सिंह पिता सचिन सिंह व भाई रितेश कुमार सिंह द्वारा हमसे कहा कि हम तुम्हारी शादी अपने बेटे प्रवेश कुमार से करा देगें। इन लोगो के द्वारा शादी की बात से साफ इन्कार कर दिया गया और इन लोगो के द्वारा हमे गन्दी गन्दी गाली व जान से मरने की धमकी दिया जा रहा है। और रितेश दारू पीकर बोला की मेरे भाई प्रवेश कुमार का साथ छोड दो नही तो हम जान से मार देगे।

4- अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण निर्दोष है, निराधार प्रकरण में मात्र रंजिशन आरोपित है। प्रार्थीगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न निर्णीत हुआ है, न ही दाखिल हुआ है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है, रंजिशन प्रार्थीगण को दबाव बनाने के लिए और अपमानित करने के लिए फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे तथ्यों पर आधारित है परिवादिनी पढ़ी लिखी एवं स्वछन्द विचार वाली महिला है, एवं उसका प्रेम संबंध प्रवेश कुमार सिंह से यह जानते हुए था कि प्रवेश पहले से शादी शुदा है एवं उसके 1 बच्चा है। प्रार्थीगण प्रवेश से शादी के लिए हम प्रार्थीगण पर दबाव बनाने के लिए यह मुकदमा किया गया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मामला पूर्ण रूप से असत्य होने के बावजूद भी मुकामी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। प्रार्थीगण को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसकी आशंका हम प्रार्थीगण को बनी रहती है। प्रार्थीगण को गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाकर एवं अपमानित करने के उद्देश्य से झूठा आरोप लगाया गया है जो किसी तरह से विश्वसनीय नहीं है। प्रार्थीगण सामान्य परिवार के संभ्रान्त व्यक्ति हैं खेती बारी है फरार होने की लेशमात्र सम्भावना नहीं है। अग्रिम जमानत की दशा में जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। प्रार्थनापत्र धारा 482 (4) BNSS के विपरीत नहीं है। अतएव उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

5- अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त/आवेदक के अग्रिम जमानत का घोर विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि अभियुक्त सचिन द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया तथा अन्य अभियुक्तगण अर्चना सिंह एवं रितेश कुमार सिंह द्वारा पीडिता को गाली गुप्ता देते हुए जाने से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्तगण अग्रिम जमानत का हकदार नहीं

है।

6- अभियुक्तगण के ऊपर यह आरोप है कि अभियुक्त सचिन द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया तथा अन्य अभियुक्तगण अर्चना सिंह एवं रितेश कुमार सिंह द्वारा पीडिता को गाली गुप्ता देते हुए जाने से मारने की धमकी दी गयी। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण/आवेदकगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। पीड़िता ने अपने धारा 180 बीएऩएसएस के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि " मेरा नाम रेनू पुत्री रामकेवल ग्राम छपिया थाना रूधौली जनपद वस्ती की निवासिनी है। मेरी उम्र 24 वर्ष है। हम प्रवेश कुमार S/O सचिन सिंह ग्राम जोत आसरे थाना छावनी जनपद बस्ती के है जिनसे लगभग एक साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी उसके बाद प्रवेश कुमार हमसे फोन पर बातचीत करने लगे और मुझसे शादी करने का झांसा देने लगे। मैं भी उनसे बातचीत करने लगी उनके झांसे में आ गई और उनके कहने पर कार्य करती रही। हम फैजाबाद में पढ़ाई करते थे तो प्रवेश कुमार की मां अर्चना सिह पत्नी सचिन सिंह कहने लगी कि हमारे घर की बहू में बाहर अकेले नहीं रहती है तो तुम्हारे साथ हमारा बेटा प्रवेश भी साथ में रहेगा। अपने मां के कहने पर मैं साथ देवकली फैजाबाद में साथ रहने लगे और साथ में रहने को कहने लगे तो हमने मना किया कि अभी हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो प्रवेश कहने लगा की शादी तो हमको करना ही है तो हम शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो गये। प्रवेश की माँ और उनका पूरा परिवार हमसे बातचीत करते थे। उनकी मां भी कहती थी तुम दोनों की शादी नंवबर में कर दिया जाएगा। फिर प्रवेश के भाई भी हम दोनों के साथ फैजाबाद में रहते थे एक दिन शाम को प्रवेश के भाई रितेश शाम को दारू पीकर आए और हमको गलत तरीके से टच करने लगे तो मैने मना किया तो वह गाली देकर बोले कि मेरी बात नहीं मानेगी तो तुम्हारी शादी अपने भाई से नहीं होने देंगे फिर मैं रितेश की शिकायत उनके माँ से की तो उन्होंने बोला कि घर की बात है घर में ही रहने दो। उसके बाद हम और प्रवेश फैजाबाद से बस्ती में रूम लेकर रहते थे प्रवेश के घर वाले गाली गुप्ता देने लगे कि तुम उस लड़की को छोड़ दो और वो लोग भी मुझे धमकी देने की प्रवेश को छोड़ दो शादी नहीं करेंगे तुम्हारी उसका साथ छोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे। उसके बाद प्रवेश के पापा हिस्सा देने से माना करने लगे तो प्रवेश भी शादी करने से मना करने लगा। और मेरा दोनों मोवाइल प्रवेश की माँ अर्चना सिंह रख ली है। प्रवेश व उसके घर वालों ने मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर जिसका नवर UP51 BW 2662 व मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी CG मोवाइल व इनवर्टर का मेरे नाम से फाइनेंस करवा लिया और उसने पास रख लिए हैं। प्रवेश द्वारा शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा जब मैं शादी करने के लिए बोली तो प्रवेश व उसका पूरा

परिवार शादी करने इनकार कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पीडिता ने अपने धारा 180 बीएनएसएस में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। हस्तगत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। पीडिता द्वारा धारा 180 बीएनएसएस के अंतर्गत दिये गये बयान से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण/आवेदकगण की हस्तगत अपराध में संलिपत्ता है और पीडिता के साथ सहअभियुक्त प्रवेश द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया गया। इसके पश्चात समस्त अभियुक्तगण द्वारा पीडिता की शादी प्रवेश से कराने के लिए इंकार कर दिया गया।

7- उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को व आवेदकगण/अभियुक्तगण की अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष पर विचार न करते हुए न्यायालय इस मत का है कि अग्रिम जमानत हेतु लिये गये आधार पर्याप्त नही है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण सचिन प्रताप सिंह, अर्चना सिंह, रितेश कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण सचिन प्रताप सिंह, अर्चना सिंह, रितेश कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक- 13.07.2026

(विराट शिरोमणि)
अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी० प्रथम
बस्ती।
(जे०ओ०कोड- 1869)